

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डीन (करीली)

सीलसैन अधिकारी - मंगल पुत्र (अपराध)
प्रकरण संख्या-31/17

समाप्त दिनांक- 16/08/2017

सीलसैनपत्र नं. 2017/31/17

कनाम

मंगल विसराम वीजीराम जाति जाटव निवासी सिन्धीपुत्र तहसील हिण्डीन जिला
करीली राजस्थान

—प्राथी

कनाम

मज्जु पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी सिन्धीपुत्र तहसील हिण्डीन जिला करीली
राजस्थान

—प्राथी

प्राथीना पत्र काकल 111 एल और एल

निर्णय

दिनांक-

सक्षित मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काफ़रकॉर्ट अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्राथी एवं प्राथी वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार प्राथी एवं प्राथी वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद प्राथी एवं प्राथी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 22.08.2017 से आज दिनांक तक तलवना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्राथी एवं प्राथी वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। प्राथी एवं प्राथी वकील द्वारा न्यायालय आदेशों को अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा नं 31/17 मंगल कनाम मज्जु आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पारतना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हमराज गुज्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डीन, जिला करीली

